न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 70/2025

(सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 33/2025)

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद

..................प्रार्थी

बनाम

1. श्री गजराज पुत्र श्री उगमाराम बेडा की ढाणी, सराणा अजमेर
2. श्री इमरान काठात पुत्र श्री पूनाराम काठात निवासी श्यामगढ, मसूदा
3. श्री विजय कुमार विजयवर्गीय पुत्र श्री स्व. रामगोपाल विजयवर्गीय म0नं0 42 पलटन बाजार, अजमेर पुलिस थाना किशनगढ

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित ;-

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेराकार सरकार
2. श्री ख़िया सिंह रावत अप्रार्थीगण अभिभाषक

आदेश

दिनांक 10.12.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.2025 को नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) मोनिका जाखड के आदेश क्रमांक राजकाज रे.नं. 18071264 पर मय प्रवर्तन दल रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, अतुल बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक सम्मिलित थे। मौके पर थाना गांधी नगर, किशनगढ के उपनिरीक्षक श्री रामसिंह उपस्थित मिले। श्री रामसिंह से प्राप्त तहरीर एवं जानकारी के अनुसार दिनांक 30.09.2025 समय करीब 2.45 पर जिला स्पेशल टीम की सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराने हेतु सराणा गांव के पास चार दिवारी युक्त बाडा श्री गजराज पुत्र श्री उगमाराम व श्री मुकेश पुत्र जगदीश निवासी बेड़ा की ढाणी तन सराणा पर पहुँचे। जहां पर अवैध रूप से अवैध वाहन तेल का ट्रेक्टर टेंकर बडी टंकियो में स्टॉक, टैंकर वाहन व अन्य साधन मिले। मौके पर जिला रसद कार्यालय का दल 3.50 पर पहुँचा। मौके पर दो परिसरों में अवैध कारोबार की सूचना थी। 3.50 से 7.00 बजे तक श्री मुकेश पुत्र श्री जगदीश के परिसर में कार्यवाही समाप्ति पर श्री गजराज पुत्र श्री उगमाराम के परिसर में कार्यवाही प्रारंभ की गई। मौके पर चार दिवारी से घिरे इस परिसर में एक कोने पर पक्का निर्माण एवं कमरा बना हुआ था। बाहर खुले परिसर में पेड के नीचे एक 5000 लीटर क्षमता का एक टेंकर खडा था, जिस पर कोई नंबर नहीं था। इस टेंकर पर एक टोटेलाइजर व नोजल लगा हुआ था। इस टैंकर से परिसर से बाहर खडे ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 9443 में पेट्रोलियम पदार्थ नोजल की सहायता जब पुलिस दल पहुँचा तब डाला जा रहा था। टैंकर के पास तीन खाली बडे 2500 लीटर क्षमता के प्लास्टिक ड्रम भी रखे थे। इलेक्ट्रिक मोटर भी रखी थी। टेंकर में 500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मौके पर श्री गजराज चौधरी पुत्र श्री उगमाराम चौधरी बेडा की ढाणी सराणा के परिसर में टैंकर का पेट्रोलियम पदार्थ व नोजल टोटोलाइजर के साथ मिलना, संग्रहण हेतु प्लास्टिक ड्रमो का मिलना, टैंकर से नोजल की सहायता से ट्रेलर में पेट्रोलियम पदार्थ डाला जाना इस स्थान पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध

जिला कलक्टर
अजमेर

व्यवसाय को बताता है। इस तरह बिना वैध अनुज्ञा पत्र, दस्तावेज, बिना सुरक्षा मानक पूरा किये पेट्रोलियम पदार्थे का अवैध व्यवसाय करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने के कारण मुझ नीरज जैन द्वारा जब्ती की कार्यवाही कर टैंकर 5000 लीटर क्षमता मय नोजल टोटेलाइजर, इलेक्ट्रिक पम्प, प्लास्टिक ड्रम, ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 9443 एवं 5000 लीटर क्षमता वाले ट्रैक्टर टेंकर मे भरा पेट्रोलियम पदार्थ 500 लीटर को कब्जे राज लिया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य MS and HSDC (regulation of Supply distribution & Prevention of malpractices) Order 2005 की धारा 2(r)4,5,6 का उल्लंघन है जो EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा टेंकर 5000 लीटर क्षमता मय नोजल टोटेलाइजर, इलेक्ट्रिक पम्प, प्लास्टिक ड्रम, ट्रैलर संख्या RJ 01 GC9443 एवं 500 लीटर क्षमता वाले टेंकर में भरा पेट्रोलियम पदार्थ 500 लीटर को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 30.09.2025 को नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) मोनिका जाखड के आदेश क्रमांक राजकाज रे.नं. 18071264 पर मय प्रवर्तन दल रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, अतुल बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक सम्मिलित थे। मौके पर थाना गांधी नगर, किशनगढ के उपनिरीक्षक श्री रामसिंह उपस्थित मिले। श्री रामसिंह से प्राप्त तहरीर एवं जानकारी के अनुसार दिनांक 30.09.2025 समय करीब 2.45 पर जिला स्पेशल टीम की सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराने हेतु सराणा गांव के पास चार दिवारी युक्त बाडा श्री गजराज पुत्र श्री उगमाराम व श्री मुकेश पुत्र जगदीश निवासी बेडा की ढाणी तन सराणा पर पहुँचे। जहां पर अवैध रूप से अवैध वाहन तेल का ट्रेक्टर टेंकर बडी टंकियो में स्टॉक, टेंकर वाहन व अन्य साधन मिले। मौके पर जिला रसद कार्यालय का दल 3.50 पर पहुँचा। मौके पर दो परिसरों में अवैध कारोबार की सूचना थी। 3.50 से 7.00 बजे तक श्री मुकेश पुत्र श्री जगदीश के परिसर में कार्यवाही समाप्ति पर श्री गजराज पुत्र श्री उगमाराम के परिसर में कार्यवाही प्रारंभ की गई। मौके पर चार दिवारी से घिरे इस परिसर में एक कोने पर पक्का निर्माण एवं कमरा बना हुआ था। बाहर खुले परिसर में पेड के नीचे एक 5000 लीटर क्षमता का एक टेंकर खडा था, जिस पर कोई नंबर नहीं था। इस टेंकर पर एक टोटेलाइजर व नोजल लगा हुआ था। इस टेंकर से परिसर से बाहर खडे ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 9443 में पेट्रोलियम पदार्थ नोजल की सहायता जब पुलिस दल पहुंचा तब डाला जा रहा था। टेंकर के पास तीन खाली बडे 2500 लीटर क्षमता के प्लास्टिक ड्रम भी रखे थे। इलेक्ट्रिक मोटर भी रखी थी। टेंकर में 500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मौके पर ट्रेलर के ड्राइवर इमरान काठात पुत्र श्री पूना काठात, निवासी मसूदा से पूछताछ पर उसने बताया कि वह इस स्थान पर अपने मालिक रामावतार चौधरी, निवासी रामनेर ढाणी के कहने पर पेट्रोलियम पदार्थ भरवाने आया। मैं सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ भरवाता हूँ पैसा मालिक द्वारा ही दिया जाता है। मौके पर श्री गजराज चौधरी पुत्र श्री उगमाराम चौधरी बेडा की ढाणी सराणा के परिसर में टैंकर का पेट्रोलियम पदार्थ व नोजल टोटोलाइजर के साथ मिलना, संग्रहण

जिला कलक्टर
अजमेर

हेतु प्लास्टिक ड्रमो का मिलना, टैंकर से नोजल की सहायता से ट्रेलर में पेट्रोलियम पदार्थ डाला जाना इस स्थान पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय को बताता है। मौके पर उपस्थित विजय कुमार विजयवर्गीय द्वारा गुजरात से पेट्रोलियम पदार्थ 60/- रूपये में मंगवा कर 70/- रूपये में इस स्थान पर देने की बात अपने बयान में कही है। श्री गजराज पुत्र उगमाराम जो इस परिसर का मालिक बताया गया वो मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। इस तरह बिना वैध अनुज्ञा पत्र, दस्तावेज, बिना सुरक्षा मानक पूरा किये पेट्रोलियम पदार्थे का अवैध व्यवसाय करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने के कारण मुझ नीरज जैन द्वारा जब्ती की कार्यवाही कर टैंकर 5000 लीटर क्षमता मय नोजल टोटेलाइजर, इलेक्ट्रिक पम्प, प्लास्टिक ड्रम, ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 9443 एवं 5000 लीटर क्षमता वाले ट्रैक्टर टेंकर मे भरा पेट्रोलियम पदार्थ 500 लीटर को कब्जे राज लिया गया। टेंकर में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का सैम्पल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिखा गया जिसकी फर्द सैम्पल अलग से लिखी गई। जब्त सामग्री टेंकर, ट्रेलर, पम्प व प्लास्टिक ड्रम को थाना गांधीनगर, किशनगढ को सुर्दगी पर दी गई। जिसका सुपुर्दगीनामा पृथक से लिखा गया। मौके पर फर्द जब्ती, वक्त जांच लिख कर गवाहों की उपस्थिति में पढाकर, सुनाकर सही पाया जाने पर हस्ताक्षरित करवायी गई तथा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट सबंधित थाना में दर्ज करवा दी गई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य **MS and HSDC (regulation OF Supply distribution & Prevention Of malpractices) Order 2005** की धारा 2(r)4,5,6 का उल्लंघन है जो **EC Act 1955** की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा टेंकर 5000 लीटर क्षमता मय नोजल टोटेलाइजर, इलेक्ट्रिक पम्प, प्लास्टिक ड्रम, ट्रैलर संख्या RJ 01 GC 9443 एवं 5000 लीटर क्षमता वाले टेंकर में भरा पेट्रोलियम पदार्थ 500 लीटर को राजसात करने के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी महोदय ने झूठे तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश किया है अप्रार्थीगणो ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के किसी भी प्रावधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी ने झूठे तथ्यों के आधार पर खड़ी गाडियो को जब्त कर झूठा परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के पास फर्म के जी.एस.टी पेड बिल है जिस बिलो में स्पष्ट अंकित है कि जब्तशुदा माल फ्यूल आयल है जो कि उद्योगो में काम आता है, अप्रार्थीगणो ने मौके पर ही जिला रसद अधिकारी को उक्त बिल दिखाये तथा फर्म का रजिस्ट्रेशन भी दिखाया परन्तु फिर भी जिला रसद अधिकारी ने बिलो व फर्म के रजिस्ट्रेशन को नजरअन्दाज कर झूठा परिवाद पेश किया। जिला रसद अधिकारी महोदय ने फ्यूल ऑयल को मात्र आशंका के आधार पर बायोडीजल बताकर झूठी कार्यवाही कर झूठा परिवाद पेश किया। बिना एफ.एस.एल रिपोर्ट के रसद अधिकारी ने फ्यूल ऑयल को बायोडीजल बताकर झूठी कार्यवाही की। उक्त फ़्यूल ऑयल पेट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है तथा सिर्फ उद्योगो में काम में आता है। अतः परिवाद को खारिज कर प्रकरण में जब्तशुदा वाहनो को छोड़ने के आदेश पारित करे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध फर्द दस्तावेजात, फर्द मौका एवं जप्ती, सुपुर्दगीनामा तथा अप्रार्थी की बहस में प्रकट तथ्यों पर विचार किये जाने पर पाया कि दिनांक 30.09.2025 को नीरज कुमार जैन जिला

जिला कलक्टर
अजमेर

रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) मोनिका जाखड़ के आदेश कमांक राजकाज रे.नं. 18071264 पर मय प्रवर्तन दल रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, अतुल बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक सम्मिलित थे। मौके पर थाना गांधी नगर, किशनगढ के उपनिरीक्षक श्री रामसिंह उपस्थित मिले। श्री रामसिंह से प्राप्त तहरीर एवं जानकारी के अनुसार दिनांक 30.09.2025 समय करीब 2.45 पर जिला स्पेशल टीम की सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराने हेतु सराणा गांव के पास चार दिवारी युक्त बाडा श्री गजराज पुत्र श्री उगमाराम व श्री मुकेश पुत्र जगदीश निवासी बेडा की ढाणी तन सराणा पर पहुँचे। जहां पर अवैध रूप से अवैध वाहन तेल का ट्रेक्टर टेंकर बड़ी टंकियो में स्टॉक, टेंकर वाहन व अन्य साधन मिले। मौके पर दो परिसरों में अवैध कारोबार की सूचना थी। मौके पर चार दिवारी से घिरे इस परिसर में एक कोने पर पक्का निर्माण एवं कमरा बना हुआ था। बाहर खुले परिसर में पेड के नीचे एक 5000 लीटर क्षमता का एक टेंकर खडा था, जिस पर कोई नंबर नहीं था। इस टेंकर पर एक टोटेलाइजर व नोजल लगा हुआ था। इस टेंकर से परिसर से बाहर खडे ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 9443 में पेट्रोलियम पदार्थ नोजल की सहायता जब पुलिस दल पहुँचा तब डाला जा रहा था। टेंकर के पास तीन खाली बड़े 2500 लीटर क्षमता के प्लास्टिक ड्रम भी रखे थे। इलेक्ट्रिक मोटर भी रखी थी। टेंकर में 500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा जाना पाया गया। मौके पर श्री गजराज चौधरी पुत्र श्री उगमाराम चौधरी बेडा की ढाणी सराणा के परिसर में टैंकर का पेट्रोलियम पदार्थ व नोजल टोटोलाइजर के साथ मिलना, संग्रहण हेतु प्लास्टिक ड्रमो का मिलना, टैंकर से नोजल की सहायता से ट्रेलर में पेट्रोलियम पदार्थ डाला जाना इस स्थान पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय को बताता है। मौके पर उपस्थित विजय कुमार विजयवर्गीय द्वारा गुजरात से पेट्रोलियम पदर्थ 60/– रूपये में मंगवा कर 70/– रूपये में इस स्थान पर देने की बात अपने बयान में कहीं है। श्री गजराज पुत्र उगमाराम जो इस परिसर का मालिक बताया गया। इस तरह बिना वैध अनुज्ञा पत्र, दस्तावेज, बिना सुरक्षा मानक पूरा किये पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध व्यवसाय करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने के कारण श्री नीरज जैन, जिला रसद अधिकारी द्वितीय अजमेर द्वारा जब्ती की कार्यवाही कर टेंकर 5000 लीटर क्षमता मय नोजल टोटेलाइजर, इलेक्ट्रिक पम्प, प्लास्टिक ड्रम, ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 9443 एवं 5000 लीटर क्षमता वाले टेंकर मे भरा पेट्रोलियम पदार्थ 500 लीटर को कब्जे राज लिया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किये कि जब्तशुदा माल फ्यूल ऑयल है जो कि उद्योगो में काम आता है किन्तु जवाब/बहस में किसी प्रकार के खरीद बिल, दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य MS and HSDC (regulation Of Supply distribution & Prevention Of malpractices) Order 2005 की धारा 2(r)4,5,6 का उल्लंघन है जो EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा नोजल टोटेलाइजर, इलेक्ट्रिक पम्प, प्लास्टिक ड्रम एवं 5000 लीटर क्षमता वाले टेंकर में भरा पेट्रोलियम पदार्थ 500 लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि प्रार्थी ने सुपुर्दगीनामा प्रकरण संख्या 33/2025 में जब्तशुदा वाहन अशोक लीलेण्ड ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 9443 व टेंकर को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त वाहन अशोक लीलेण्ड ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 9443 व ट्रेकंर में पेट्रोलियम पदार्थ का अनाधिकृत कृत्य से परिवहन में साबित होने के फलस्वरूप रूपये

जिला कलक्टर
अजमेर

1,00,000/- अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ती राशि आरोपित की जाती हैं। सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जरिये नीलामी निस्तारण किया जावे। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 33/2025 का निस्तारण इसी आदेश में किया गया है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आंज दिनांक 10.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर